भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
COURT

(11)

!! श्री !!

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

R-2083-I/14 प्र.कं. . . .

शीर्षक

1. मेहरबानसिंह पिता बलवंतसिंह
2. मानसिंह पिता बलवंतसिंह
3. सौभलसिंह पिता मेहरबानसिंह
4. राजेन्द्रसिंह पिता मेहरबानसिंह
5. भुरिया पिता मेहरबानसिंह
6. कमल पिता मानसिंह सिंह

निवासी– ग्राम झाडखेडी तहसील टोकखुर्द , जिला देवास (म.प्र.)

. . . प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमती सुमित्राबाई वति नरेन्द्र कंजर
2. श्रीमती अनिताबाई पति जितेन्द्र कंजर

निवासी– ग्राम भैरवाखेडी रोंड (चिडावद) तहसील टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

. . प्रतिनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अन्तर्गत् धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र माननीय तहसीलदार महोदय टोकर्खुद जिला देवास , द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण क्रं. 17 /अ –70 /2011–12 में पारित आदेश दि. 20 / 04 / 2014 एवं 24 / 05 / 2014 से असन्तुष्ट एवं दुःखित होकर निम्न आधारों पर, निर्धारित अवधि के अन्दर, सादर प्रस्तुत हैं –

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

01 यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय के यहॉ कब्जा प्राप्ती के लिये प्रतिप्रार्थीगण द्वारा धारा 250 म. प्र. भु राजस्व संहीता का प्रस्तुत कर विचारण किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी के बचाव साक्ष्य को प्रमाणीत करने हेतु अवसर दिनांक 20 / 04 / 2014 को अवसर समाप्त किया गया है व पश्चात पुनः दिनांक 24 / 05 / 2014 प्रस्तुत आवेदन भी निरस्त कर दीया गया।

02 यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारीत प्रकरण में मूल विवाद का विषय स्वत्व का है जिसके के लिये प्रार्थी द्वारा माननीय जिला न्यायालय में दिवानी वाद दायर कर वादग्रस्त कृषी भुमी के पंजिकरण को शुन्य करने विष्यक है।

निरन्तर 2

R 2083 F 14 (6017) 76

स्थान त	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक अधिवक्ता...... अनावेदक...... अधि...... ...... पेशी दि...... आज्ञा से कैम्प उज्जैन रीडर	
16-5-14	अनावेदकों की ओर से श्री एस. आर. यादव उप. हुए. उन्होंने जवाब पेश किया। आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उप. नहीं। पूर्व पेशी पर उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई, प्रकरण अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) प्रभारी सदस्य	

शाक्षेमुगवा—59—फॉर्म्स—3-5-11—4,000 प्रपत्र.